पावर ग्रिड कोर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुड़गांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001

दिनांक: 13 June, 2022

PGCIL/R/E/22/00176 & 00177

SHRI YOGENDRA RATHOD,
PANDAV NIVAS NR FOREST OFFICE , CHANDAN VAS DEHGAM , TALUKO:- DEHGAM DIST-GANDHINAGAR-382305

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 13 May, 2022 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध पत्रों का संदर्भ लें

उपरोक्त पत्रों में वांछित जानकारी अनुलग्नक-I में संलग्न है

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

f/o हरिशकुमार 13/06/2022

(ए. जगन्नाथ राव)
वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय: श्री योगेंद्र राठोड़, गांधीनगर, गुजरात के आरटी.आई. आवेदन संख्या PGCIL/R/E/22/00176 तथा 00177 का जवाब

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>मांगी गई सूचना:</th><th>जवाब:</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सी.एस.आर. के तहत आई.आई.टी. मद्रास को दी गई छात्रवृति के सभी दस्तावेजो की प्रमाणित नकल देने का कष्ट करे (जैसे की बजट, समिति के सदस्य, अनुमोदित नोटशीट, किसके द्वारा दर्खास्त रखी गई थी इत्यादि)</td><td>सी.एस.आर. के तहत आई.आई.टी. मद्रास को दी गई छात्रवृति के संदर्भ में जानकारी निम्नलिखित है:

<u>बजट:</u> आई.आई.टी. मद्रास में 10.5 करोड़ रुपये की लागत से छात्रवृति योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
इस संदर्भ मे अन्य जानकारी निम्नानुसार है:-
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>श्रेणी :</th><th>कवरेज:</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ पीडब्लयूडी के छात्र</td><td>सरकार की योजनाओं के तहत इस श्रेणी के छात्रों की फ़ीस पहले से ही माफ़ है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>1.0 लाख रुपये से कम वार्षिक पैतृक आय वाले सामान्य/ ओबीसी वर्ग के छात्र</td><td>सरकार की योजनाओं के तहत इस श्रेणी के छात्रों की फ़ीस पहले से ही माफ़ है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सामान्य/ओबीसी श्रेणी या ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) वर्ग के छात्र जिनकी वार्षिक माता-पिता की आय 1 लाख – 5 लाख रुपये के बीच है</td><td>सरकार की योजनाओं के तहत इस श्रेणी के छात्रों की दो-तिहाई फ़ीस पहले से ही माफ़ है। अत: छात्रवृति योजना के तहत शामिल छात्रों की शेष एक-तिहाई फ़ीस इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के छात्र या सामान्य /ओबीसी वर्ग के छात्र जिनकी वार्षिक माता-पिता की आय 5 लाख रुपये से अधिक लेकिन 10 लाख रुपये से कम है</td><td>सरकारी योजनाओं के तहत इस श्रेणी के छात्रों के लिए कोई भी वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है।
अत: छात्रवृति योजना के तहत शामिल छात्रों की ट्यूशन फ़ीस के लिए प्रति छात्र/प्रति वर्ष 2.0 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।</td></tr>
</table>
<u>समिति के सदस्य:</u> पावरग्रिड की आधिकारिक वैबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक निम्नलिखित है:-
https://www.powergrid.in/sites/default/files/details%20of%20Committee%20dt.%2001.05.2022.pdf</td></tr>
</table>

2.	सी.एस.आर. के तहत आईआईटी मद्रास को दी गई छात्रवृति की प्रक्रिया में शामिल अधिकारीओं के नाम, पद, तैनाती स्थल की जानकारी देने का कष्ट करें ।	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) के खण्ड (ञ) के अधीन, यह सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।
3.	सी.एस.आर. के तहत आईआईटी मद्रास को दी गई छात्रवृति किस आधार पर दी गई है की जानकारी के सभी दस्तावेजो की प्रमाणित नकल देने का कष्ट करे ।	आईआईटी मद्रास को दी गई छात्रवृर्ति, कंपनी अधीनियम २०१३ के अनुसूची-VII के अंतर्गत प्रदान की गई है।
4.	पिछले 10 सालो मे एस.सी. एस.टी. के अलावा जाती आधार्रित कोई फंड दिया गया हो/ प्रक्रिया में हो तो उसकी जानकारी के सभी दस्तावेजो की प्रमाणित नकल देने का कष्ट करे।	पावरग्रिड द्वारा पिछले 10 सालो में कोई भी जाति आधारित फंड नहीं दिया गया है।
5.	एससी, एसटी यूनियन/एसोशिएशन के सदस्यो/प्रमुख/जीएस को सी.एस.आर. के तहत क्या अधिकार प्राप्त हैं की जानकारी के सभी दस्तावेजो की प्रमाणित नकल देने का कष्ट करे।	प्रश्न में शामिल संस्थाओं को सी.एस.आर के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं ।
6.	सी.एस.आर. के तहत आई.आई.टी. मद्रास को दी गई छात्रवृति किस डी.ओ.पी. / क्लौज के आधार पर दी गई है की जानकारी के सभी दस्तावेजो की प्रमाणित नकल देने का कष्ट करे।	सी.एस.आर. के तहत आई.आई.टी. मद्रास को दी गई छात्रवृर्ति ,पावरग्रिड डीओपी के आधार पर दी गई है ।

*****